

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1086
(TO BE ANSWERED ON 15.12.2022)

FIXED MEDICAL ALLOWANCE FOR RETIRED EMPLOYEES

1086 # DR. RADHA MOHAN DAS AGRAWAL:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

- (a) the amount which is paid as Fixed Medical Allowance to the retired Central Government employees by Government;
- (b) the year in which the said amount was decided and whether it has ever been increased; and
- (c) whether Government would consider increasing this amount?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE
(DR. JITENDRA SINGH)**

(a) to (c): It is submitted that Central Government Civil Pensioners/Family Pensioners who are residing in areas not covered under Central Government Health Scheme administered by the Ministry of Health and Family Welfare and corresponding health schemes administered by other Ministries/Departments for their retired employees and who are not availing OPD facilities under that scheme, are entitled to receive a monthly Fixed Medical Allowance (FMA) of Rs.1000/- per month for meeting expenditure on their day-to-day medical expenses that do not require hospitalization. The amount of Fixed Medical Allowance (FMA), which was fixed at Rs. 100/- per month in the year 1997 has been revised from time to time. In 2008, FMA was revised to Rs. 300/- per month and in 2014, it was again increased to Rs. 500/- per month. Lastly, the amount of FMA from Rs. 500/- per month was increased to Rs.1000/- per month with effect from 01.07.2017.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1086
(दिनांक 15.12.2022 को उत्तर देने के लिए)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता

1086. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निश्चित चिकित्सा भत्ते के रूप में कितनी राशि की भुगतान किया जाता है;

(ख) उक्त धनराशि किस वर्ष तय की गई थी और क्या इसे कभी बढ़ाया गया है; और

(ग) क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर विचार करेगी?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग) यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संचालित तदनुसूची स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं और जो ऐसी योजना के अधीन ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, दिन-प्रतिदिन के ऐसे चिकित्सा व्ययों जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती, को पूरा करने के लिए 1000/- रूपए प्रतिमास का मासिक नियत चिकित्सा भत्ता(एफएमए) पाने के हकदार हैं। नियत चिकित्सा भत्ते(एफएमए) की राशि जो वर्ष 1997 में 100/- रूपए प्रतिमास निर्धारित की गई थी, समय-समय पर संशोधित की जाती रही है। वर्ष 2008 में, नियत चिकित्सा भत्ता 300/- रूपए प्रतिमास संशोधित किया गया था और वर्ष 2014 में, इसे बढ़ाकर 500/- रूपए प्रतिमास किया गया। अंततः, नियत चिकित्सा भत्ते की राशि दिनांक 01.07.2017 से 500/- रूपए प्रतिमास से बढ़ाकर 1000/- रूपए प्रतिमास की गई।

<https://www.govtstaff.com>